



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 16, 2001/श्रावण 25, 1923

No. 579]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2001/SRAVANA 25, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2001

का.आ. 789 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 (बैहाटा चरली से जोनई और रुपई से सीतापानी) के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य का निष्पादन, अगले आदेशों तक, सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सीमा सड़क संगठन को सौंपती है।

[सं. एन एच-23014/2/2000-पी एल]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास)

व अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2001

S.O. 789(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby entrusts the execution of the work relating to development and maintenance of the National Highway No. 52 (Baihata Charali to Jonai and Rupai to Sitapani) in Assam to Border Roads Organisation under Border Road Development Board, until further orders.

[No. NH-23014/2/2000-PL]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development)
and Addl. Secy.